मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ 2432 /MGNREGS-MP/NR-3/SE/16, भोपाल, दिनांक 08/03/ 2016

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त, (म.प्र.)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत एमआईएस में त्रुटिवश पूर्ण प्रदर्शित हो रहे अपूर्ण कार्यो को पुनः प्रगतिरत कार्यो की श्रेणी में लाने बावत्।

संदर्भः– परिषद का पत्र क्र. 110/MGNREGS-MP/NR-3/SE/2015, दिनांक 04.01.2016

––00––

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत MIS में कार्यों को Close करने का Option ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत दोनों स्तर पर होने के कारण, त्रुटिवश अपूर्ण कार्यों की प्रविष्टि पूर्ण कार्य के रूप में किये जाने के प्रकरण राज्य स्तर पर सतत् ध्यान में लाये जा रहे हैं। ऐसे कार्यों को पुनः Ongoing श्रेणी में लाये जाने हेतु म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी संदर्भित पत्र के अनुसार अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा स्थल सत्यापन उपरांत निर्धारित प्रपत्र में अनुशंसा भेजे जाने की प्रक्रिया तय की गयी है। इस प्रक्रिया में विलंब न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों को परिमार्जित करते हुए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

क्र.	कार्य विवरण	प्रक्रिया
1.	ऐसे कार्य जिनमें आगे कोई व्यय नहीं किया जाना है केवल शेष रहे शून्य व्यय वाले मस्टर रोलों की फिडिंग की जाना है।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की अनुशंसा पर जिला पंचायत द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव पर परिषद द्वारा कार्य प्रगतिरत की श्रेणी में किया जाना।
2.	50,000 रु. तक व्यय किया जाकर पूर्ण कराये जाने वाले कार्य।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रा.या.सेवा की अनुशंसा पत्र पर परिषद द्वारा कार्य प्रगतिरत श्रेणी में किया जाना।
3.	रु. 50,000 से अधिक किन्तु 1,00000 तक व्यय किया जाकर पूर्ण कराये जाने वाले कार्य।	कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की अनुशंसा पत्र पर परिषद द्वारा कार्य प्रगतिरत श्रेणी में किया जाना।
4.	रु.1,00000 से अधिक व्यय किया जाकर पूर्ण कराये जाने वाले कार्य।	कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कार्यो का विवरण अधीक्षण यंत्री, ग्रा.या.सेवा मण्डल कार्यालय को भेजा जावेगा अधीक्षण यंत्री, ग्रा.या.सेवा द्वारा स्थल सत्यापन उपरांत अनुशंसा सहित परिषद को प्रस्ताव भेजने पर कार्य प्रगतिरत की श्रेणी में किया जाना।

उपरोक्तानुसार चारों प्रकार की श्रेणी के प्रकरण सम्मुख दर्शित अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद को भेजना सुनिश्चित करे। ऐसे प्रकरण जो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परिषद को प्रेषित किये जा चुके है, किन्तु उन पर कार्यवाही अपेक्षित है, पुनः उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया से प्रेषित किये जावे। विधिवत् प्राप्त प्रकरणों को मुख्य अभियंता द्वारा परीक्षण उपरांत MIS शाखा को अग्रेषित किये जाने पर उनके द्वारा कार्यों को तीन दिवस के अंदर Ongoing श्रेणी में किया जावेगा। निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर)

(अलका उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक / 2433 / MGNREGS-MP/NR-3/SE/16, भोपाल, दिनांक 08/03/ 2016

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख अभियंता,ग्रा.या.सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल म.प्र.।
2. संभागायुक्त, समस्त म.प्र.।
3. मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला प्रभारी, समस्त...................................... म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधीक्षण यंत्री, ग्रा.या.सेवा मण्डल, समस्त, म.प्र.।
6. संयुक्त आयुक्त, योजना / मॉनिट,म.प्र.रा.रो.गा.परिषद भोपाल म.प्र.।
7. सिस्टम एनालिस्ट, म.प्र.रा.रो.गा.परिषद भोपाल म.प्र.।
8. कार्यपालन यंत्री, ग्रा.या.सेवा मण्डल, समस्त, म.प्र.।

(हस्ताक्षर)

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रपत्र–1

महात्मा गांधी नरेगा

एम.आई.एस. में त्रुटिवश पूर्ण प्रदर्शित हो रहे अपूर्ण कार्यों की सूची

। का नाम :– दिनांक

जनपद पंचायत का नाम	ग्रा.पं. का नाम	कार्य का नाम एवं कार्य का कोड	कार्य एजेंसी का नाम	कार्य स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	एम.आई.एस. के अनुसार			स्थल निरीक्षण अनुसार कार्य की स्थिति				कार्य Ongoing श्रेणी में लाये जाने के बाद पूर्ण करने में अनुमानित व्यय राशि	कार्य Re-Open करने पर कार्य किस दिनांक तक पूर्ण होगा	रिमार्क
						कार्य प्रारंभ दिनांक	कार्य पूर्णता दिनांक	व्यय राशि	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण कर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्य की वर्तमान स्थिति	वर्तमान में कार्य के कौन से आयटम अपूर्ण है			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

सहायक यंत्री
जनपद पंचायत....................

कार्यक्रम अधिकारी
ज.पं....................

कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग....................

मुख्यकार्यपालन अधि. एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत........................

नोटः– जिले द्वारा अधीक्षण यंत्री को भेजे जाने वाली सूची का प्रारूप/जिले द्वारा परिषद को सीधे भेजे जाने वाली सूची का प्रारूप (बिन्दु क्र. 1, 2 एवं 3 के परिपेक्ष्य में)

महात्मा गांधी नरेगा

एम.आई.एस. में त्रुटिवश पूर्ण प्रदर्शित हो रहे कार्यों को प्रगतिरत करने हेतु कार्यों की सूची

मण्डल का नाम :–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक

क्र.	जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्रा.पं. का नाम	कार्य का नाम एवं कार्य का कोड	कार्य एजेंसी का नाम	कार्य स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	एम.आई.एस. के अनुसार			स्थल निरीक्षण अनुसार कार्य की स्थिति			कार्य प्रगतिरत करने के पश्चात कार्य में व्यय होने वाली अनुमानित राशि	कार्य Re-Open करने पर कार्य किस दिनांक तक पूर्ण होगा	रिमार्क
								कार्य प्रारंभ दिनांक	कार्य पूर्णता दिनांक	व्यय राशि	निरीक्षण दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	वर्तमान में कार्य के कौन से आयटम अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
मण्डल.................................

नोटः–　अधीक्षण यंत्री द्वारा परिषद को भेजे जाने वाली सूची का प्रारूप